प्रेषक,

आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

संख्या 171 /27- 59 (2008-09) जे०ए० दिनाँक : अक्टूबर 30 ,2009

विषय :- स्प्रिंग फील्ड एकेडमी मण्डावली, जनपद बिजनौर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शासनादेश संख्या 1916/15-7-09-01(299)/2007 दिनांक 14-07-2009 के अन्तर्गत गठित समिति को निम्नलिखित प्रतिवन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगें और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगा ।
5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगें ।
6- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगें ।
7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें संस्था उनका पालन करेगी ।
8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र-पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
9- विद्यालय में कतिपय शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला व पुस्तकालय कक्ष मानक से छोटे हैं, जिनका सम्बद्धता से पूर्व निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा ।
10- उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के विना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 14-07-2009 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(रान सूरत दुबे)
आयुक्त ।

संख्या एवं दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ ।
2- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
4- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद ।
5- जिलाधिकारी, बिजनौर ।
6- जिला विद्यालय निरीक्षक, बिजनौर ।
7- प्रबंधक, स्प्रिंग फील्ड एकेडमी मण्डावली, जनपद बिजनौर ।

(राम सूरत दुबे)
आयुक्त ।

Kuldeep Singh (Manager)
SPRING FIELD ACADEMY
Affiliated to C.B.S.E. Delhi (2131179)
Najibabad - Nangal Road, Mandawali
Najibabad, Distt. Bijnor (U.P.) 246749

Dr. Karuna Sharma (Principal)
SPRING FIELD ACADEMY
Affiliated to C.B.S.E. Delhi (2131179)
NAJIBABAD - Nangal Road, Mandawali
Najibabad, Distt. Bijnor (U.P.) 246749

Scanned with OKEN Scanner